न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), फलौदी
बइजलास – डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 304 / 2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुरताराम पुत्र लालूराम जाति – विश्नोई निवासी– घतरवालों का गांव, भोजासर तहसील – फलोदी जिला जोधपुर (राज.)		1. मनोहरलाल पुत्र लालूराम 2/1 मनोहरी पत्नि सहीराम 2/2 सुगनी पत्नि मनोहरलाल 3. गणपतराम पुत्र लालूराम सभी जाति – विश्नोई निवासी–कालीराणा नगर भोजासर तहसील – फलोदी 4. श्रीमान तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय दिनांक :– 10/01/23

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमती प्रदान की। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया वाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम कालीराणानगर पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 59, 59/2, 59/3 कुल रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज है। खसरा संख्या 59/3 में से रकबा 0.1637 हैक्टयर भूमि किस्म बी–3 वादी कें बंट में, उपरोक्त विवादग्रस्त तीनों खसरो में से रकबा 5.9651 हैक्टयर (सम्पूर्ण भूमि का 19649/62222 हिस्सा) प्रतिवादीगण संख्या 03 के हिस्से में, इसी प्रकार तीनों खसरों में से रकबा 0.0971 हैक्टयर (सम्पूर्ण भूमि का 21286/62222 हिस्सा) प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से में, तीनों खसरों में से रकबा 0.1600 हैक्टयर (सम्पूर्ण भूमि का 14002/62222 हिस्सा) प्रतिवादीगण संख्या 2/1 के हिस्से में तथा सम्पूर्ण भूमि का 7285/62222 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2/2 के बंट में भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी

बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुरताराम पुत्र लालूराम जाति – विश्नोई निवासी– धतरवालों का गांव, भोजासर तहसील – फलोदी जिला जोधपुर (राज.)		1. मनोहरलाल पुत्र लालूराम 2/1 मनोहरी पत्नि सहीराम 2/2 सुगनी पत्नि मनोहरलाल 3. गणपतराम पुत्र लालूराम सभी जाति – विश्नोई निवासी–कालीराणा नगर भोजासर तहसील – फलोदी 4. श्रीमान तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 304/2018

जीसीएमएस 2016/00036

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कताई रूबरू मेरे व हाजिर श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई वादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कालीराणानगर पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 59, 59/2, 59/3 कुल रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज है। खसरा संख्या 59/3 में से रकबा 0.1637 हैक्टयर भूमि किस्म बी–3 वादी कें बंट में, उपरोक्त विवादग्रस्त तीनों खसरो में से रकबा 5.9651 हैक्टयर (सम्पूर्ण भूमि का 19649/62222 हिस्सा) प्रतिवादीगण संख्या 03 के हिस्से में, इसी प्रकार तीनों खसरों में से रकबा 0.0971 हैक्टयर (सम्पूर्ण भूमि का 21286/62222 हिस्सा) प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से में, तीनों खसरों में से रकबा 0.1600 हैक्टयर (सम्पूर्ण भूमि का 14002/62222 हिस्सा) प्रतिवादीगण संख्या 2/1 के हिस्से में तथा सम्पूर्ण भूमि का 7285/62222 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2/2 के बंट में भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें। वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 01 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलोदी

ओहदा

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।